आवश्यक

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2011/2845

दिनांक : 29 सितम्बर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सोहावल, फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन हेतु (अस्थाई) सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : सम्ब0 434/सत्तर–6–2011–2(233)/2011 दिनांक 19 अगस्त, 2011 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, सोहावल, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2011 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय को शासन स्तर/विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. शासनादेश एवं शपथ पत्र के अनुसार एक माह के पश्चात कमियों को पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत कराने की शर्त के साथ कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. परीक्षा नियन्त्रक।
2. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा।

सहायक कुलसचिव

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2017/3647 दिनांक : 02-3-2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सिवार, सोहावल, फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **भवदीय एजूकेशलनल इंस्टीट्यूट, सिवार, सोहावल, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय का सत्र 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने, प्रबन्ध समिति तथा प्राचार्य एवं समस्त प्राध्यापकों के अनुमोदन के दृष्टिगत् महाविद्यालय को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनॉकः 01.07.2016 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
2. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
5. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक/ वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव